न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 210/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :—** 2024/221
दायर दिनांक :— 25.09.2024 **निर्णय दिनांक :—** 04.04.2025

1. महेश कुमार पुत्र लीलाधर जाति पुष्करणा ब्राहमण निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुरज पत्नी लीलाधर जाति पुष्करणा ब्राहमण निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. जुल्फाखातु पत्नी वसीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
3. ताज मोहम्मद पुत्र वसीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
4. नूरदीन पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
5. मलूको पत्नी गफूरखां जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
6. यारू खां पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
7. रमजान पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
8. वसीरखां पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
9. सकूर पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी
10. सिकन्दर पुत्र वसीर मोहम्मद जाति निवासी घटोर तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मोहम्मद रफीक अधि. अप्रार्थी सं. 2 ता 10
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 1516 रकबा 7.2358 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 1517 रकबा 5.7708 हैक्टेयर सरहद मौजा घटोर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप में स्थित है। वक्त सेटलमेंट के मोमीट्रेस नक्शा में खसरा नम्बर 1516 दो जगह अंकित था और अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1517 का अंकन नक्शा ट्रेस में नही था लेकिन प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 मौके पर अलग—अलग कब्जा काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार था। वर्तमान में नक्शा लट्ठा में खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 1516 व 1517 सरासर गलत रूप से दर्ज कर दिये है। वर्तमान नक्शा में जहां पर 1516 दर्शाया गया है वहां पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 का कब्जा है तथा जहां 1517 दर्शाया गया है वहां पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त जहै। वर्तमान नक्शा लट्ठा में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नम्बर खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित दर्ज कर दिये है और उक्त नक्शा लट्ठा में दर्ज खसरा नम्बर का रेखीय क्षेत्रफल जमाबंदी में दर्ज रकबा से कम व ज्यादा है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम घटोर के खसरा नम्बर

04/4/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

1516 रकबा 7.2358 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1517 रकबा 5.7708 हैक्टेयर के नक्शा में गलत रूप से दर्ज रकबा अनुसार अपनी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम घटोर पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1516 रकबा 7.2358 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1517 रकबा 5.7708 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम घटोर पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1516 रकबा 7.2358 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1517 रकबा 5.7708 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का घटोर एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम घटोर पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1516 रकबा 7.2358 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1517 रकबा 5.7708 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का घटोर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/4/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)